न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहनसिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 35/19 (वि.प्रा.पत्र)

1. श्री हरलाल पिता नाथु मेघवाल निवासी वासनीखुर्द तह. मावली।
2. श्रीमती रूपाबाई पत्नी हरलाल मेघवाल निवासी वासनीखुर्द तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का बांसलिया, तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री चन्द्रपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री राजपेरोकार, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 26.08.2019

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम होली पटवार हल्का बांसलिया तह. मावली की परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1141/1084 किता 6 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में हम प्रार्थीगण के नाम बराबर–बराबर हिस्सानुसार संयुक्त खातेदारी हक से अंकित हैं। नकल जमाबन्दी संलग्न हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 626 मी. रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा। उक्त वर्णित आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बिलानाम काबिल काश्त के रूप में अंकित हैं। नकल जमाबन्दी संलग्न हैं।
2. प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ में वर्णित हम प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात में आवागमन करने के लिए 60 फीट चौडा मार्ग मुख्य सडक से होकर सडक के दक्षिणी दिशा में स्थित परिशिष्ट ब में अंकित आराजी नम्बर 626 मी. की भूमि के बीच खाली पडी भूमि पर सदीप से बना हुआ है जिससे होकर हम प्रार्थीगण हमारी उक्त वर्णित कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी, ट्रेक्टर द्वारा लाते ले जाते आ रहे है तथा वर्तमान में भी इसी रास्ता का हमारी जमीन पर आवागमन के

रूप में प्रयोग कर रहे है। इसके अलावा हमारी जमीनों में आवागमन करने या कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी, ट्रेक्टर लाने ले जाने का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है और न ही कभी रहा हैं।

3. हम प्रार्थीगण के पास प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ में वर्णित कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिए परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 626 मी. की भूमि पर बने रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है और न ही कभी कोई वैकल्पिक मार्ग रहा हैं।
4. सदीप से हम प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात में आवागमन करने के लिए 60 फीट चौडा मार्ग मुख्य सडक से होकर सडक के दक्षिणी दिशा में स्थित परिशिष्ट ब में अंकित भूमि के बीच खाली भूमि पर रहा है तथा वर्तमान में भी यही मार्ग है और इसी मार्ग से होकर हम हमारी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर सदीप से कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी, ट्रेक्टर द्वारा ला ले जा रहे हैं। इसके अलावा हम प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए कोई मार्ग नहीं हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण की परिशिष्ट अ में अंकित कृषि भूमि आराजी नम्बर 1088 व 1089 की सीमा तक आवागमन करने के लिए मुख्य सडक से बिलानाम आराजी नम्बर 626 मी. की जमीन के बीच में आराजी नम्बर 1088 व 1089 के सामने उत्तर दिशा में 60 फीट चौडा रास्ता कायम कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है और इस भूमि में मार्ग कायम किये जाने से जो भी व्यय होगा वह एवं रास्ता बाबत् ली जाने वाली भूमि की कीमत हम प्रार्थीगण न्यायालय के आदेशानुसार जमा/वहन कराने का मैयार एवं तत्पर हैं।
5. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 08.01.2012 को संशोधन कर नयी धारा 251 (क) अन्तः स्थापित कर अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग का विस्तार कराने का अधिकार दिया गया है। यदि किसी खातेदार द्वारा अवरोध किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा आदेश प्राप्त कर अपने खेतों तक पहुंचने के लिए नया मार्ग बनाने एवं विद्यमान मार्ग को चौडा कराने का प्रावधान दिया गया है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।
6. हम प्रार्थीगण का मजबूत प्राइमाफैसी केस होकर सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। क्योंकि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ

में अंकित कृषि भूमियों पर आने जाने के लिए परिशिष्ट ब में अंकित भूमि में बने हुवे रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है और हम प्रार्थीगण एवं हमारे पूर्वज सदीप से इसी रास्ते से होकर हमारी जमीनों में आवागमन करते आ रहे है और इस भूमि में नियमानुसार रास्ता कायम किये जाने से किसी भी व्यक्ति को असुविधा अथवा क्षति नहीं होगी बल्कि इस जमीन में रास्ता कायम नहीं किये जाने इस सरकारी भूमि पर अतिक्रमी अतिक्रमण करेंगे और रास्ते को भी अवरूद्व कर देगे जिससे हम प्रार्थीगण हमारी जमीनां के उपयोग उपभोग से वंचित हो जावेगे और परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पडेगा और इससे हम प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति एवं हानि होगी जिसका मूल्याकंन रूपयो पैसों में आंका जाना सम्भव नहीं होगा।

7. हम प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 10.06.2019 को उत्पन्न हुआ जब हम प्रार्थीगण ने विपक्षीगण से हमारी कृषि भूमि आराजी नम्बर 1088 व 1089 की सीमा तक पहुंचने के लिए उक्त परिशिष्ट ब में वर्णित बिलानाम भूमि में 60 फीट चौडा रास्ता नियमानुसार शुल्क जमा कर कायम करने बाबत् निवेदन किया तो विपक्षीगण ने माननीय न्यायालय आपमें मुकदमा कर रास्ता कायम कराने की बात कही और कोई कार्यवाही नहीं की तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

8. अतः प्रार्थना है कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावे कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ में अंकित आराजीयात में से आराजी नम्बर 1088 व 1089 की सीमा तक पहुंचने के लिए (आराजी नम्बर 1088 व 1089 के सामने उत्तर दिशा में) परिशिष्ट ब में अंकित भूमि के मध्य में 60 फीट चौडा रास्ता कायम किया जावे एवं उक्त भूमि में कायम किये गये मार्ग का राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शें में रास्ता के रूप में अमल दरामद व तरमीम किये जाने हेतु आदेशित किया जावें। उक्त भूमि में रास्ता कायम किये जाने बाबत् होने वाला समस्त व्यय एवं रास्ता बाबत् ली जाने भूमि की कीमत न्यायालय के आदेशानुसार हम प्रार्थीगण जमा/वहन करने को तैयार हैं। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार मावली से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गई। विपक्षी राजपेरोकार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया।

10. प्रकरण में प्रार्थीगण व राजपेरोकार की बहस सुनी। प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण के खातेदार भूमि में आने जाने हेतु रास्ता नहीं होने से पास की आराजी में न्यूनतम दूरी का रास्ता कायम करा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार मावली द्वारा अपनी बहस में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रास्ता दिलाया जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया।

11. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

    1. क्या प्रार्थी खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता हैं ?

       प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम होली के आराजी सं. 1085 से 1089, 1141/1084 के खातेदार और आराजी सं. 632 के संयुक्त खातेदारी में से 3/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज है। इनकी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु आराजी नम्बर 626 मी. के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं।

    2. क्या प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं।

       तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु न्यूनतम दूरी वाला रास्ता आराजी सं. 626 मी. मे से है। आराजी नम्बर 626 मी. के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं हैं।

    3. यदि प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता हैं तो वह प्रस्तावित करें।

       तहसीलदार मावली द्वारा आराजी नम्बर 626 मी. के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया हैं।

    4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्याकंन प्रस्तुत करें।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा जहां रास्ते की मांग की है उस भूमि का रकबा 4 बिस्वा भूमि रास्ते में आ रही है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 1,98,045/– अक्षरे एक लाख अठानवे हजार पैतालीस रूपयें प्रतिबीघा हैं। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 4 बिस्वा की कुल कीमत 39,609 अक्षरे उनचालीस हजार छः सौ नौ रूपयें होना बताया हैं।

12. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा होली पटवार क्षैत्र बांसलिया की आराजी नम्बर 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1141/1084 किता 6 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा में आने जाने हेतु विपक्षी की भूमि आराजी नम्बर 626 मी. में से होकर रास्ता चाह रहे हैं। रास्ता पूर्व में सदीप से ही चला आ रहा हैं जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक जाता हैं। विपक्षीगण की आराजी में से प्रस्तावित 60 फीट चौडाई का रास्ता चाहा गया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में नियमानुसार 30 फीट चौडाई का आराजी नम्बर 1088, 1089 में आसानी से आने जाने के लिए 1088 के सामने से जा रहा रास्ते का रकबा 4 बिस्वा प्रस्तावित किया हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। न्यूनतम दूरी वाला 4 बिस्वा का रास्ता तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित किया गया हैं। अन्य कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है। वह वर्तमान में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज हैं। चूंकि प्रार्थीगण के भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता हैं। इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 से कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्तें कायमी बाबत् बिलानाम सरकार भूमि में से रास्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया हैं। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : <u>आदेश</u> : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा होली पटवार हल्का बांसलिया तह. मावली की परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1141/1084 किता 6 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 626 मी. रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा में से 4 बिस्वा भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 30 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार डी.एल.सी. दर 1,98,045/–रूपयें प्रतिबीघा के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 4 बिस्वा की कुल कीमत 39,609 का दुगुना 79,218/– रूपयें अक्षरे उन्नासी हजार दौ सौ अठारह रूपयें राशि प्रार्थीगण से वसूल कर राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवाई जावें। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली